न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 66 / 2022

अनवान : –

1. पिंकु पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी करणपुरा त0 भादरा।

प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री महेन्द्र जागिड **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 10/7/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 के आर पी के खाता सं0 110 / 103 की कुल 3.8540 है0 में प्रार्थीया का नाम विक्रम कुमारी पुत्री भूपसिंह नाबालिग वली माता मनी देवी के नाम 8099 / 19270 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम विक्रम कुमारी दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थीया का सही नाम पिंकू पुत्री भूपसिंह है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, परिवार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र आदि में सही नाम दर्ज है। इस प्रकार विक्रम कुमारी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्रस्तुत की गई। साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थीया के शपथ पत्र पर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी [illegible] बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का [illegible] होने के कारण प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति हो रही है जबकि प्रार्थीया का सही नाम पिंकू पुत्री भूपसिंह है अन्य सभी दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड , बैक पास बुक, परिवार कार्ड, विवाह प्रमाण [illegible] , जन्म प्रमाण पत्र [illegible] सही नाम दर्ज है। इस प्रकार विक्रम कुमारी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। इसलिए न्यायहित में उक्त नाम संशोधन किया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपॉर्ट में विक्रम कुमारी नाम जरिये दान पात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। दान पात्र के समय प्रार्थीया की आयु महज 4–5 वर्ष थी जिससे परिवारजनों ने प्रार्थीया का नाम विक्रम कुमारी दर्ज करवा दिया। वर्तमान मे प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में पिंकू नाम दर्ज है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, परिवारिक राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, संरपच प्रमाण पत्र आदि में पिंकू नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 3 के आर पी के खाता सं0 110/103 की कुल 3.8540 है0 में प्रार्थीया का नाम विक्रम कुमारी पुत्री भूपसिंह नावालिग वली माता मनी देवी के नाम 8099/19270 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है में **विक्रम कुमारी नाम को हटाया जाकर उसके स्थान पर पिंकू पुत्री भूपसिंह** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। कृषि भूमि यदि रहन है तो रहन मुक्त के बाद उपरोक्त अंकन किया जावे। और यदि इससे पूर्व किसी न्यायालय, किसी संस्था आदि में कोई बकाया अथवा कोई विवाद विक्रम कुमारी नाम से जैरकार है तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम विक्रम कुमारी ही लागु होगा। तथा भविष्य में भी यदि कोई इस नाम से छूपे हुए तथ्य प्रकट होते है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी।

निर्णय आज दिनांक ......10/7/23...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:50 IST
Reason: SelfAttested